

Members
—Two Officers
Group 'A' of Controllerate of Inspection (Ammunition), Kirkec.
—An Officer Group 'A' of Administration Directorate, Directorate General of Inspection, Headquarters.

[File No. A/86817/DGI/(Admn.-10B)/D (Inspection)]

K.G. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

का. नि. आ. 330:—नियमों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं के प्रेषणों और उन्हें तामील करने की रीति के संबंध में बनाना चाहती है, भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 4 तारीख 26 जुलाई, 1986 में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 235 तारीख 23 जून, 1986 के साथ प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

यतः पूर्वोक्त राजपत्र 6 अगस्त, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

यतः प्राप्त आक्षेप पर केन्द्र सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः यह केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रारूप और उन्हें तामील करने की रीति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (सूचनाओं के प्रेषणों और उन्हें तामील करने की रीति) नियम 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और मदों के वहीं अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

3. सूचनाओं के प्रारूप अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं, इन नियमों से संलग्न प्रारूपों में होंगी।

4. सूचनाओं को तामील करने की रीति :

किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना निम्न प्रकार से तामील की जाएगी या प्रस्तुत की जाएगी:—

(क) सूचना ऐसे व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर,

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर सूचना को चिपका कर, यदि ऐसा स्थान छावनी के भीतर है तो, या सूचना को उसके कुटुम्ब के किसी बयस्क पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या निविदत्त करके या उस भवन या भूमि के, यदि कोई है, जिससे यह संबंधित है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकावा कर।

5. धारा 252 से 256 क के उपबंधों का लागू होना
अधिनियम की धारा 252 से 256-क तक के उपबंध इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना को लागू होंगे।

[का. स. पी. सी. 12(6)/सी/मू. एवं छा. (82) 4208/डी(क्यू एंड सी)]
करतार सिंह, अवर सचिव

प्रारूप सं. 1

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 68 के अधीन लोक सूचना

धारा 67 की अपेक्षानुसार कर निर्धारण सूची तैयार करने पर उसकी सूचना (तारीख) _____को सम्यक रूप से दे दी गई थी। अब, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 68 की अपेक्षानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि निर्धारण समिति (तारीख _____से आक्षेपों की सुनवाई प्रारम्भ करेगी।

(सूचना के प्रकाशन की तारीख और सुनवाई की तारीख के बीच कम से कम तीस दिन का अन्तर होना चाहिये।)

यह सूचना, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 255 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर लगाई जा रही है।

(प्राधिकार छा. बो. सं. तारीख

1.
2.
3.
4.
5.
6.

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

अधिशोसी अधिकारी

..... छावनी बोर्ड

बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 2

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 68 के अधीन
व्यक्तिगत सूचना

प्रेषित,

विषय : निर्धारण सूची का पुनरीक्षण --रजि.

महोदय / महोदया,

छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 68 की अपेक्षानुसार आपको सूचना दी जाती है कि छावनी बोर्ड, ----- ने एक नई कर निर्धारण सूची तैयार की है, जिसकी लोक सूचना पहले ही (तारीख) ----- को प्रकाशित की जा चुकी है और आपको संपत्ति का जो ----- के नाम से ज्ञात है, निर्धारण ----- से बढ़ाकर ----- र. प्रति वर्ष कर दिया गया है।

पुनरीक्षित निर्धारण और मूल्यांकन पर निर्धारण समिति द्वारा (तारीख) ----- को विचार किया जाएगा।

2. यदि उपरोक्त निर्धारण के बारे में आपको कोई आपत्ति है तो आप तारीख ----- से पूर्व यह कथन करते हुए कि निर्धारण के बारे में आपका विवाद क्या है, लिखित में आपसे प्राप्त किसी आपक्षेप कर विचार नहीं करेगी।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं. ----- छावनी अधिशासी अधिकारी
तारीख, ----- छावनी बोर्ड
निर्धारण/मूल्यांकन के व्योरे, बोर्ड की मुद्रा

1. 2. 3.

प्ररूप सं. 3

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 71 की
उपधारा (1क) के अधीन सूचना

प्रेषित

महोदय / महोदया,

निर्धारण सूची को निम्नलिखित रीति में और नीचे विनिर्दिष्ट आधाराओं पर संशोधित करना आवश्यक हो गया है:—

(क) ----- नाम से ज्ञात संपत्ति के सम्बन्ध में श्री/श्रीमती/कुमारी ----- को नाम जोड़कर / लोप करके, किसका नाम जोड़ा जाना / लोप किया जाना चाहिये या :

(ख) ----- के नाम से ज्ञात संपत्ति के निर्धारण में परिवर्तन करके, जिसका निर्धारण/मूल्यांकन बोर्ड/निर्धारण समिति की भूल/वृत्ति के कारण गलत हो गया था :

(ग) ----- के नाम से ज्ञात संपत्ति को जोड़कर लोप करके :

(घ) पुनः मूल्यांकन/पुनर्निर्धारण करने पर ----- नाम से ज्ञात संपत्ति का मूल्य अन्तिम निर्धारण के बाद गया है :

(ङ) ----- के नाम से ज्ञात संपत्ति के संबंध में, अधिमोगी का नाम बदलकर क्योंकि कर अधिमोगी द्वारा संदेय है,

यदि उपरोक्त संशोधनों के बारे में आपको कोई आपत्ति है तो आपको अपना आपक्षेप, बोर्ड के पास ----- से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिये। (कथित समय सीमा, सूचना की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिये।)

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
छावनी बोर्ड
बोर्ड की मुद्रा

बोर्ड का कार्यालय
सं. -----
तारीख

प्ररूप सं. 4

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 74 के
अधीन सूचना

सेवा में,

छावनी अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड,

महोदय/महोदया,

मैं / हम, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 74 की अपेक्षानुसार सूचना देती/देता हूँ/देंते हैं कि मैंने/हमने छावनी बोर्ड सं. ----- तारीख ----- आपके ----- आपके पत्र संख्या ----- तारीख ----- द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसरण में, तारीख ----- को ----- गली सड़क पर स्थित प्लॉट सं. ----- पर भवन का निर्माण / पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है। अधिमोगी ग्रहण कर लिया है।

भवदीय,

हस्ताक्षर -----

नाम -----

पता -----

तारीख -----

प्ररूप सं. 5

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 77 के
के अधीन सूचना

सेवा में,

छावनी अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड,

विषय ----- के नाम से ज्ञात संपत्ति को खाली करने की सूचना।

महोदय/महोदया,

मैं/हम, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 77 के अधीन सूचना देती/देता हूँ/देंते हैं कि उपर उल्लिखित संपत्ति वाली है और तारीख से उससे कोई भाटक नहीं मिल रहा है। कृपया इसे नोट करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पता

तारीख

यह संपत्ति के खाली भाग की विशिष्टियों का उल्लेख करें।

प्ररूप सं. 6

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 79 के अधीन सूचना

सेवा में,

छावनी अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड,

विषय के नाम से ज्ञात संपत्ति का
पुनः अधिभोग

महोदय,

मैं/हम, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देती/देता हूँ/देंते हैं कि उपर उल्लिखित संपत्ति संपत्ति का नाम तारीख से पुनः अधिभोग में से लिया गया है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पता

तारीख

यह संपत्ति के भाग का उल्लेख करें।

प्ररूप सं. 7

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा चुंगी कर/पर्यन्त कर/पथ कर के रूप में देय की रकम अदा न करने के कारण नीचे सूचीबद्ध माल/यान/यानों/पशु/पशुओं का तारीख को आपसे अभिग्रहण कर लिया गया था।

और आप उक्त माल/यान/यानों/पशु/पशुओं पर चुंगी/पर्यन्त/पशु कर के रूप में जमा करने में असफल रहे हैं।

अतः, अब मैं, अर्थात् छावनी बोर्ड, का अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, (1924 का 2) की धारा 82 की उपधारा (3) के अनुसार आपको सूचना देता हूँ कि नीचे सूचीबद्ध माल/यान/यानों/पशु/पशुओं की बाबत चुंगी/पर्यन्त कर/पथ कर के रूप में की रकम वसूल करने के लिये उक्त माल/यान/यानों/पशु/पशुओं की तारीख को नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

यह भी ध्यान रखें कि की रकम के अतिरिक्त उक्त माल/यान/यानों/पशु/पशुओं के अभिग्रहण, अभिरक्षा या बेचने के कारण हुआ व्यय भी आपसे वसूल किया जाएगा, यदि उक्त रकम और व्यय, नीलामी द्वारा विक्रय के प्रारम्भ से पूर्व आपके द्वारा अदा नहीं किया जाता है।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी

छावनी बोर्ड कार्यालय

छावनी बोर्ड

सं.

(बोर्ड की मुद्रा)

तारीख

माल / यान / यानों / पशु / पशुओं की सूची

1. 2. 3. 4.

प्ररूप सं. 8

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 103 उपधारा (1) के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय / महोदया,

आपके अधिभोग में नाम से ज्ञात इमारत/भूमि के कर दायित्व/निर्धारित की जाने रकम/वाषिक मूल्य को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जानकारी लेना आवश्यक हो गया है;

अतः, अब मैं, अर्थात् छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, आपसे माग करता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर नाम से ज्ञात संपत्ति की बाबत दूसरी ओर दिए गए प्ररूप में आवश्यक सूचना दें। 15 दिन के अन्दर सूचना देने में असफल रहने या ऐसी सूचना देने की दशा में जो आपके सर्वोत्तम ज्ञान या विश्वास के अनुसार सही नहीं है, आप उक्त अधिनियम की धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन जुमाने से, जो 500 रु. का हो सकेगा दण्डनीय होंगे और इमारत/भूमि का कर/दायित्व/निर्धारित की जाने वाली रकम/वाषिक मूल्य उतना विनिश्चित किया जाएगा। जितना बोर्ड उचित समझता है। इस प्रकार किया गया निर्धारण अन्तिम होगा।

भवदीय,

छावनी बोर्ड का कार्यालय

छावनी अधिशासी अधिकारी

सं.

छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 8 (जारी)

छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 103 के अधीन दी गई जानकारी

1. मकान सं. सड़क और परिवेत्त।
2. स्वामी का नाम और पता।
3. उत्तराधिकार सं. क्रम की तारीख
4. संपत्ति के लिए संदत्त की गई कीमत।
5. (क) कच्चा या पक्का।
(ख) इमारत का क्षेत्र।
(ग) भूमि का क्षेत्र।
6. मजिलों की संख्या।
7. प्रत्येक मजिल में कमरों की संख्या, जिसके अन्तर्गत भंडार, रसोई और स्नानगृह भी हैं, और उनकी दिशाएं।
8. (क) आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में हैं या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए।
(ख) इमारत का उपयोग होटल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल या कारखाना चलाने के लिए किया जा रहा है। यदि हा तो कृपया पूरे ब्योरे दीजिये।
9. यदि कोई भाग किराए पर दिया गया है तो किरायदारों के नाम प्रत्येक को किराए दी गई वास सुविधा और मासिक किराया।
10. क्या मकान में:—
(क) बिजली लगी है।
(ख) धरेलू पानी कनेक्शन है।
(ग) स्वच्छ शौचालय है।
11. क्या मकान का राज्य सरकार के सम्पत्ति कर के लिए निर्धारण किया गया है। यदि हां, तो उत्पाद-शुल्क और कराधान अधिकारी द्वारा नियत निर्धारण की रकम कितनी है, और निर्धारण किस तारीख से लागू है।

स्वामी/अभिभोगी/किराएदार/कि हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 9

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

बोर्ड ने तारीख, ----- की लोक सूचना द्वारा यह निदेश दिया था की छावनी के ----- क्षेत्र में ओपड़ियों/इमारतों की छत्ते और बहारी दीवारें, बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना बनाई नहीं जाएगी या धास, चटाईया, पत्तियों या अन्य जलनशील सामग्रियों से न तो बनाई जाए और न नवीकृत की जाए, और

अपने बोर्ड को लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी ओपड़ी/इमारत की छत/दीवार (दीवारों) का नवीकरण धास/चटाईयों/पत्तियों/जलनशील सामग्री से किया है,

अतः अब, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा (2) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ----- छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी के रूप में आपको सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर अपनी ओपड़ी/इमारत की छत्तों/दीवारों को हटा दे।

भवदीय,
अधिकारी अधिकाारी
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 10

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा (2) की उपधारा (2) के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

आपकी ओपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारें/छत (छत्तें), बोर्ड की मजूरी से/के बिना धास/चटाईयों/पत्तों ----- या जलनशील पदार्थों से बनाई गई हैं,

और बोर्ड की यह राय है कि आपकी ओपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारों/छत (छत्तों) को जलनशील पदार्थों से बना होने के कारण हटाया जाना चाहिए।

अतः अब मैं यथात् ----- छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम 1924 के अनुसरण में सूचना देता हूँ कि, इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से ----- दिन के अन्दर, आपकी ओपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारें/छत्तें हट दी जाए।

आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उक्त सामग्री की मूल लागत के रूप में ----- का प्रतिकार तप किया गया है और वह ----- दिन के अन्दर बोर्ड के कार्यालय से लिया जा सकता है।

भवदीय
अधिशासी अधिकारी
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

**यहां अनुपालन के लिए उचित शब्ध लिखें।

प्ररूप सं. 11

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 126 के अधीन सूचना
प्रेषिती

महोदय/महोदया,

छावनी बोर्ड की यह राय है कि आपके स्वामित्वाधीन/भागत, स्वामित्वाधीन इमारत / दीवार / कुंआ/तालाब/जलाशय/गुहा/उत्खात/गड्ढा/किनारा/वृक्ष (जो इससे उपायबद्ध सारणी में वर्णित है) बर्जर हालत में है और पड़ोस में होकर जाने वाले रहने वाले/काम करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूसेंस खतरनाक है **;

अतः जब मैं, अर्थात् छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा के अनुसरण में आपकी सूचना देता हूँ कि**को कि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के अन्दर, हटाया जाए/ उसकी मरम्मत सारंदा की जाए, ऐसा करने में चूक करने की दशा में उक्त कार्य, छावनी बोर्ड द्वारा, आपकी जोखिम और खर्च पर किया जाएगा।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय

अधिशासी अधिकारी

सं.

छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड की मुद्रा)

*किराएदार की दशा में "आपके" शब्दों का लोप किया जाएगा।

**जो लागू न हो उसे काट दें।

***यहाँ स्वामी/किराएदार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप संख्या 12

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 127 के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि इमारत सं./खाली प्लाट सं. निष्प्रयोग/विवादग्रस्त स्वामित्व/.....के कारण खल की गई नहीं है, और निकम्में तथा विच्छेदल व्यक्ति/व्यक्तियों के या ऐसे व्यक्तियों के जिनके जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं हैं/ जो अपनी बाबत समाधानप्रद सेवा जोबा नहीं दे सकते हैं/इकट्टा होने का स्थान हो गई है/जुए के लिये/अनैतिक प्रयोजनों के लिये या (अन्य प्रयोजन) के लिये काम में लाई जा रही है और या उसके कारण न्यूसेंस होना संभाव्य है।

अतः जब मैं, अर्थात् छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 127 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के अन्दर उक्त इमारत सं. खाली प्लाट सं. को अच्छी तरह बन्द करने की सूचना देता हूँ।

प्राधिकार : छा.बो.र.सं. तारीख

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय

अधिशासी अधिकारी

सं.

छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड की मुद्रा)

*अन्य प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें।

**जो लागू न हो उसे काट दें।

1014 GL/86-2

प्ररूप सं. 13

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 133 के खण्ड (क) के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि .

*(1) आपकी इमारत/भूमि का वह बच्चा न्यूसेंस कर रहा है और उसे बन्द रखना आवश्यक है;

*(2) आपकी इमारत/भूमि में गन्दगी के इकट्टा करने के पाल को साफ हालत में नहीं रखा गया है। आपकी इमारत/भूमि में मल इकट्टा हो रहा है।

*(3) आपकी इमारत/भूमि पर प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय/हीदी/स्नानघर से पानी या किसी दुर्गन्धयुक्त पदार्थ का रिसना या बहना पड़ोसियों और गुजरने वाले व्यक्तियों के लिये न्यूसेंस पैदा कर रहा है।

*(4) आपकी इमारत/भूमि में कचरा या दुर्गन्धयुक्त पदार्थ इकट्टा होने दिया गया है, इसके नीचे या उसमें रहने दिया गया है।

अतः जब मैं, अर्थात् छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 133 के खण्ड (क) के उप खण्ड*.....के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अन्दर उस बच्चे को बन्द करें/गन्दगी को इकट्टा करने के पाल को साफ हालत में रखें/इकट्टा हो गए मल को हटा दें/निर्दूष के गन्दे पानी को सार्वजनिक स्थान में बहना रोक दें या पक्के वह बच्चा की व्यवस्था करें/उचित रूप से ढकने की व्यवस्था करें/मरम्मत करें/कचरे को हटाएँ/निर्मल करें।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय

अधिशासी अधिकारी

सं.

छावनी बोर्ड

तारीख

टिप्पणी: *जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

*मन धाँ भूमि के ग्रीरे दें।

*यहाँ धारा 133 के खण्ड (क) की संबंधित उपधारा का उल्लेख करें।

प्ररूप सं. 14

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 133 के खण्ड (ख) खण्ड (ग) के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

इस बात पर ध्यान गया है कि .

*(1) आपकी इमारत/भूमि से सार्वजनिक नाली में जाने वाली नाली का धनाना या उबमें परिवर्तन करना, रोकना आवश्यक है;

* (2) आपके नियंत्रण में की वाली साफ नहीं है/नाली को मरम्मत आवश्यक है/नाली में परिवर्तन किया जाना चाहिये/नाली को अच्छी हालत में रखना आवश्यक है।

अतः, अब मैं छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 133 के खण्ड (ख)/खण्ड (ग) के अनुसरण में सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर सार्वजनिक नाली में जाने वाली, उक्त नाली को बनाने या उसके परिवर्तन करने से परिवरित रहें/साफ कर दें/निर्मल कर दें/इसकी मरम्मत कर दें/उसे अच्छी हालत में रखें।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं० अधिशासी अधिकारी,
तारीख छावनी बोर्ड,
(बोर्ड की मुद्रा)

टिप्पणी : *भवन या भूमि के ब्यौरे दें।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्रारूप सं. 15

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 134 की उपधारा (क) के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

..... छावनी बोर्ड के स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी की राय में आपकी नाम से ज्ञात संपत्ति में स्थित कुआं/तालाब/जलाशय/सिस्टन/पात्र, जिसमें पानी जमा किया जाता है/इकट्टा होता है, न्यूसंस हो रहा है और मच्छरों के प्रजनन का स्थान होना संभव्य है;

अतः, अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 134 की उपधारा (1) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना के प्राप्ति के दिन के अन्दर उक्त कुएँ/तालाब/जलाशय/सिस्टन/पात्र को भर दें/ठक दें।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं० अधिशासी अधिकारी,
तारीख छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्रारूप सं. 16

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 135 के अधीन सूचना

प्रेषिती

महोदय/महोदया,

इस और ध्यान आकर्षित हुआ है कि आपके स्वामित्वाधीन/अधि-भोगाधीन भूमि/इमारत/अकान में, जो के रूप में ज्ञात है शीचालय/मूत्रालय/बह-बच्चे/धूलिभाण्ड/गंदगी, मल या कचरे के पात्र/प्रतिरिक्त शीचालय/मूत्रालय/बह-बच्चे/पात्र का उपबंध किया जाना चाहिये;

अतः, अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 135 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि आपके उक्त स्वामित्वाधीन भूमि/इमारत/मकान में निम्नलिखित विनिर्दिष्टों के अनुरूप हो

(यहां प्रपेक्षित शीचालय/मूत्रालय/बह-बच्चा, आदि का उल्लेख करें) उपबंध किया जाना चाहिये।

(यहां वह रीति विनिर्दिष्ट करें जिसमें शीचालय/मूत्रालय/बह-बच्चे, आदि का उपबंध किया जाना है)

भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय
सं० अधिशासी अधिकारी
तारीख छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्रारूप सं. 17

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 136 के अधीन सूचना सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

..... छावनी बोर्ड,

महोदय/महोदया,

मैं, के

(यहां स्थापना का विनिर्दिष्ट करें)

नियोजक की हैसियत से छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 136 के अधीन आपको सूचना देता हूँ कि मैं में स्थित से छावनी में उक्त में

(स्थापना का नाम)

व्यक्तियों को तारीख से कर्मचारियों के रूप में नियोजित कर रहा हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

तारीख पता

प्रारूप सं. 18

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 137 के अधीन सूचना महोदय/महोदया,

यह प्लान गया है कि-

* (1) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन प्राईवेट शीचालय/मूत्रालय सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिए;

* (2) आप जो प्राईवेट शीचालय/मूत्रालय बना रहे हैं/मरम्मत करा रहे हैं वह नहीं बनाया जाना चाहिए, उसकी मरम्मत नहीं की जानी चाहिए;

आपके द्वारा मरम्मत किया गया विनिर्मित प्राईवेट शीचालय/मूत्रालय उपयोग के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिए; जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी उसका निरीक्षण नहीं कर लेता और प्रमाणित नहीं कर देता कि उक्त शीचालय/मूत्रालय छावनी बोर्ड द्वारा तारीख 198 को अनुमोदित आदर्श प्लान के अनुरूप है।

(जिसकी प्रतियां छावनी बोर्ड के कार्यालय के निःशुल्क उपलब्ध हैं)

* (3) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन प्राईवेट शौचालय/मूत्रालय सार्वजनिक न्यूसंस है।

* (4) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन शौचालय

(क) वहां से जाने वाले व्यक्तियों/पड़ोस में रहने वाले निवासियों को नजर आता है ;

(ख) को निचे दिए गए विनिर्दिष्ट रीति से साफ रखने की आवश्यकता है : (यहां उस रीति का विनिर्दिष्ट न करें जिसके अनुरूप सफाई अपेक्षित है)

* (5) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन नाली ढकी हुई नहीं है और उसे निम्नलिखित/विनिर्दिष्ट रीति से ढकने की आवश्यकता है :

(यहां ढकने की उपरोक्त रीति विनिर्दिष्ट करें)

अतः अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 137 के खंड के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन की अवधि के अन्दर स्थित आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन भूमि/इमारत में प्राईवेट शौचालय/मूत्रालय/नाली इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट रीति से बानई जाए/मरम्मत की जाए/हटा ती जाए/बंद कर दी जाए/साफ की जाए/ढक दी जाए ।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय

अधिशासी अधिकारी,

सं०

छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड की मुद्रा)

टिप्पणी : जो आवश्यक न हो उसे काट दें/

/यहां खंड विनिर्दिष्ट करें।

= इमारत या भूमि का विवरण दें।

प्ररूप सं. 19

छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 138 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर छावनी बोर्ड, की यह राय है कि नीचे सारणी में उपदर्शित इमारत/इमारतों से उनमें पड़ोसी हैं निवासियों के बीमार होने का जोखिम है/संभाव्यता है/लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा है;

और बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त इमारत/इमारतों को तत्काल हटाना आवश्यक है ;

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 138 की उपधारा (3) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ, कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर उक्त इमारत/इमारतों को हटा दिया जाए ।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय

अधिशासी अधिकारी

सं०

छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड की मुद्रा)

सारणी

[यहां संबंधित इमारत (इमारतों) का विवरण दीजिए]

प्ररूप सं. 20

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

.....
.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय में इमारत/इमारतों अथवा इसके भाग जो आवास गृह के रूप में काम में लायी जा रही है, इतनी अनसुस्त है कि उसमें रहने वालों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है ;

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 139 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि उक्त इमारत से* तक उसके निवासियों/किराएदारों/अन्य निवासियों की संख्या को घटाकर उस अतिसंकुलन को दूर कर दें।

उपर्युक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर आप उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन अभियोजन के दायी होंगे।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय

अधिशासी अधिकारी

सं०

छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड की मुद्रा)

*इसके पश्चात् उन रहने वाले अभिधारियों/अन्य रहने वाले व्यक्तियों के व्योरे दें जिनकी संख्या में कमी की जानी है।

प्ररूप सं. 21

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 140 के अधीन सूचना

.....
.....
.....

महोदय/महोदया,

बोर्ड की यह राय है कि स्थित आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इमारत/इमारतों को मरम्मत/जर्जर अस्वास्थ्यकर दशा में हैं और उसमें, निम्नलिखित मरम्मत/परिवर्तन करने की आवश्यकता है :

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 140 के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अन्दर उक्त मरम्मत/परिवर्तन कर दिए जाएं ।

भवदीय

छावनी बोर्ड कार्यालय

अधिशासी अधिकारी,

सं०

छावनी बोर्ड

तारीख

(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 22

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 141 की उपधारा
(1) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन भूमि/इमारत गंदी/अस्वास्थ्यकर हालत में है। *पड़ोस में रहने वालों के लिए न्यूसेंस है।* में नागफनी/मोथा घास/हानिकर वनस्पति की अधिकता है।

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 141 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति से दिन के अन्दर आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन भूमि/इमारत/इमारतों की सफाई करें अन्दर से/बाहर से चूने की सफेदी करें/साफ और समुचित हालत में करें।

भवदीय,

छावनी, बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

टिप्पणी : * जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 23

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 142 के अधीन
सूचना

इस इमारत के हर स्वामी अथवा अधिभोगी को सूचित किया जाता है कि उक्त पूरी इमारत या उसका भाग मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है। अतः जब तक छावनी बोर्ड उसे ऐसे प्रयोग के लिए उपयुक्त घोषित नहीं करता तब तक आप इसको निवास के लिए काम में नहीं लाएंगे।

भवदीय

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 24

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 143 के अधीन
सूचना

सेवा में,

महोदय/महोदया,

यह देखा गया है कि आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन अधिभूत भूमि/इमारत में अनिष्टकर/खड़-खड़ा हो गया है जो पड़ोस के निवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर/बलेशक है,

अतः अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 143 के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि सफेद भूमि/भवन से सफेद अधिभूत/खड़ा-

खड़ा को दिनों के अन्दर साफ कर दें और हटा दें।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 25

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 145 के अधीन
सूचना

महोदय/महोदया,

आपके स्वामित्व/भारसाधन के अधीन कब्रिस्तान/श्मशान के बारे में, की दशा, प्रबन्ध अपस्थिति के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है,

(यहां अपेक्षित जानकारी विनिर्दिष्ट करें)

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 145 के अनुसरण में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि, इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अन्दर उक्त कब्रिस्तान/श्मशान के बारे में अपेक्षित जानकारी दें।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 26

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 152 के अधीन
सूचना

महोदय/महोदया,

चिकित्सीय व्यवसायी श्री/श्रीमती ने यह प्रमाणित किया है कि संक्रामक संसर्ग-रोग का नाम रोग के आक्रमण फैलने के कारण आपके द्वारा छावनी बोर्ड में दूध के प्रदाय के कारण माना जा सकता है।

अतः अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी-अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम 1924 की धारा 152 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अन्दर मुझे अपने सभी ग्राहकों के नाम और पतों की विस्तृत तथा पूरी सूची भेज दें जिससे की उन व्यक्तियों का, जिन्हें आपने दूध भेजा है, पता लगाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 27

प्ररूप

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 153 के अधीन सूचना

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 161 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया कि, संक्रामक/सांसर्गिक रोग का फैलना निवारित करने की दृष्टि से, (रोग का नाम) आपके ग्राहकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है,

अतः अब मैं, छावनी, बोर्ड के अधिशासी अधिकारी, की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 153 के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर स्वास्थ्य अधिकारी को, छावनी के अन्दर अपने सभी ग्राहकों के जिनके कपड़े और अन्य चीजें आप धोते हैं या इस सूचना की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छः सप्ताहों के दौरान धोएँ हैं, नाम और पते की विस्तृत और पूरी सूची दी जाए।

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

भवदीय,
अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं. 28

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 155 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य अधिकारी ने रिपोर्टें दी हैं कि छावनी में,

- * (क) आपकी डेरी से प्रदाय किए गए दूध के उपभोग से
- * (ख) आपके द्वारा कपड़ों या अन्य चीजों की धुलाई/कपड़ों या चीजों की (स्थान का नाम) पर धुलाई के काम में लाई गई प्रक्रिया से संक्रामक या सांसर्गिक रोग पैदा हुआ है/पैदा होना संभाव्य है।

अतः छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 155 के खण्ड के अनुसरण में, मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, निदेश देता हूँ कि, जब तक आगे सूचना न दी जाए,

- * (क) आपकी डेरी से किसी व्यक्ति को दूध का प्रदाय नहीं किया जाना चाहिए।
- * (ख) आपके द्वारा (स्थान का नाम) पर इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई रीति में अर्थात् कपड़ों/चीजों का धुलाई नहीं कर, जहाँ चाहिए/कपड़ों/चीजों का धुलाई की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए।

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

भवदीय,
अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

टिप्पणी: * जो भी आवश्यक न हो उसे काट दें।

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि, संक्रामक/सांसर्गिक रोग फैलने के निवारण/रोकथाम के लिए आपकी इमारत/इमारत के किसी भाग की सफाई और विसंक्रामण/इमारत के फर्श/इमारत में की चीजों को हटाना आवश्यक है,

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, होने की हैसियत से, आपको, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 161 के अनुसरण में, इस सूचना की प्राप्ति के दिनों की अवधि के अन्दर, नीचे विनिर्दिष्ट इमारत/इमारत के भाग की सफाई/विसंक्रामण करने/भवन के फर्श/भवन में की चीजों को हटाने की सूचना देता हूँ।

(यहां व्योरा दीजिए)

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

भवदीय,
अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

प्ररूप सं० 30

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि, संक्रामक/सांसर्गिक रोग के फैलने के निवारण के लिए में स्थित आपके स्वामित्व वाले सायबान/शोपड़ी और उसकी सामग्री को नष्ट किया जाना आवश्यक है,

अतः मैं, छावनी बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, की हैसियत से, आपको, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 162 की उपधारा (1) के अनुसरण में, सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के दिनों की अवधि के अन्दर, पूर्वोक्त सायबान/शोपड़ी और उसकी सामग्री को नष्ट कर दें।

छावनी बोर्ड कार्यालय
सं.
तारीख

भवदीय,
अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 162 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, मेरा समाधान हो गया है कि संक्रामक/सांसारिक रोग का फैलना निवारित करने के प्रयोजन के लिए में स्थित, आपके स्वामित्व/दखल में के सायबान/शोपड़ी को तत्काल नष्ट करना आवश्यक है।

अतः मैं, छावनी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 162 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आपको सूचित करता हूँ कि आपके स्वामित्व/दखल वाली उक्त सायबान/शोपड़ी तुरन्त नष्ट कर दी जाए। उक्त सायबान/शोपड़ी को नष्ट करने में आपके असफल रहने की दशा में, इसे बोर्ड, इस अधिसूचना की प्राप्ति के घण्टों के अन्दर नष्ट कर देगा।

भवदीय,

अध्यक्ष

छावनी बोर्ड कार्यालय

छावनी बोर्ड

सं.

(बोर्ड की मुद्रा)

तारीख

*जो भी आवश्यक न हो उसे काट दें।

**यहाँ अवधि का उल्लेख करें जो कि दो घण्टे से कम न हो।

प्ररूप सं. 32

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 169 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना

सेवा में,

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि में स्थित आपके स्वामित्व/नियंत्रण के अधीन कुआ/तालाब/ (अन्य स्थान) के पानी को, यदि पीने के काम में लाया गया तो रोग फैलने का खतरा पैदा होगा/फैल जाएगा ;

अतः मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 169 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की तारीख से, उक्त कुआ/तालाब/ से जनता को पानी का प्रयोग करने/रोकने (अन्य स्थान) के लिए निम्नलिखित कदम उठाएँ।

- (1)
- (2)
- (3)

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

(बोर्ड की मुद्रा)

तारीख

टिप्पणी : जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 33

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 170 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया

यह रिपोर्ट मिली है कि संक्रामक/सांसारिक रोग से हो गई है :

अतः मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 170 के खण्ड (क) खण्ड (ख) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि

* (क) उसे शव गृह ले जाएँ।

* (ख) शव को शवगृह पर, दफनाए जाने/जलाए जाने/लि जाने के प्रयोजन के लिए, शव को हटाएँ।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

छावनी बोर्ड कार्यालय

(बोर्ड की मुद्रा)

सं.

तारीख

टिप्पण : * जो भी आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 34

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 175 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि, आप संक्रामक/सांसारिक रोग से पीड़ित है :

अतः मैं, छावनी बोर्ड के अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी/भारसाधक चिकित्सा अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 175 की उपधारा (1) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि आप (तारीख) को बजे (समय) परीक्षा के लिए हजरि हों। आप, भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, की अनुज्ञा के बिना अस्पताल/भौषधालय से नहीं जाएँगे।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

(बोर्ड की मुद्रा)

तारीख

प्रल्प सं. 35

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 183 (ख) के अधीन सूचना

सेवा में,

अधिकांसी अधिकारी,

..... छावन बोर्ड,

छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 183 (ख) के अनुसरण में, आपको सूचित किया जाता है कि, मैंने/हमने, बोर्ड के, संकल्प सं. तारीख आपके सं. तारीख द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार, नामक इमारत को बनाने/पुनः बनाने का काम पूरा कर लिया है।

कृपया इसे नोट कर लें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

तारीख :

पता

प्रल्प सं. 36

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 185 की उप-धारा (2) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

यह विचार किया गया है कि, आपके स्वामित्व में/दखल में/पट्टे पर लिए गए, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट इमारत का (जिसे इसके पश्चात् उक्त इमारत कहा गया है) बनाया जाना/पुनः बनाया जाना छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 185 के अधीन अपराध है,

अतः अब मैं छावनी बोर्ड के अधिकांसी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 185 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचना देता हूँ कि उक्त इमारत का बनाया जाना/पुनः बनाया जाना रोक दिया जाए। आपके द्वारा बनाया गया/पुनः बनाया गया भाग हटा दिया जाए और उक्त भवन को उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रीति में पुनः बनाया जाए।

अनुसूची

इमारत का नाम	इमारत का अस्थान	अधिनियम की धारा 184 के अन्वय में स्वामी/दखलदार द्वारा प्रारम्भ किए गए संनिर्माण के ब्यौरे	इमारत को डाने और पुनः बनाए जाने के बारे में विनिर्देशन
(1)	(2)	(3)	(4)

भवदीय,

अधिकांसी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

*जो भी आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्रल्प सं. 37

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 185 की उपधारा के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

कमान के मुख्य सहायक अधिकारी ने, अपने आदेश सं. तारीख द्वारा, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 181 के अधीन जारी किए गए बोर्ड के उक्त आदेश को निर्र्णित कर दिया है जिसके द्वारा बोर्ड ने नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इमारत (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त इमारत कहा गया है) को बनाने/पुनः बनाने की मंजूरी दी थी :

और उक्त इमारत के उक्त बनाए जाने/पुनः बनाए जाने को रोकना आवश्यक है,

अतः अब मैं छावनी बोर्ड के अधिकांसी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 186 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको उक्त इमारत के बनाए जाने/पुनः बनाए जाने को रोकने/उक्त इमारत को उक्त अनुसूची के खण्ड (4) के विनिर्दिष्ट रीति में डाने/परिवर्तन करने/पुनः परिनिर्माण करने की सूचना देता हूँ।

*जो भी आवश्यक न हो उसे काट दें।

अनुसूची

इमारत का नाम	इमारत का अस्थान	स्वामी/दखलदार, पट्टेदार द्वारा प्रारम्भ किए गए, संनिर्माण के ब्यौरे	कमान के मुख्य सहायक अधिकारी द्वारा सुझाए गए अपांतरणों के अनुसार वह रीति जिसमें इमारत को डाना/परिवर्तन करना/पुनः बनाया जाना चाहिए।

भवदीय

अधिकांसी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 38

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 187 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

आपने, बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं को/का जोड़ा है/संनिर्माण किया है,

- (1)
- (2)
- (3) (यहां भवन की संख्याएं विनिर्दिष्ट करें)
- (4)

अतः, अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी, की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 187 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि, आपको सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर पूर्णतः जोड़े गए भाग/संरचना/अधिश्रमण को डा देना चाहिए।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं०

तारीख

प्ररूप सं. 39

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 188 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

आपने, बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना स्थान में पर (लोक मलनाल, नाली पुलिया, जल सरपी या जल नल रेखा का नाम) कोई संरचना/इमारत बना ली/पुनः बना ली है :

अतः, अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 188 के अनुसरण में, आपको, इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अन्दर उसे गिराने की सूचना देता हूँ। ऐसा न करने पर इसे बोर्ड द्वारा आपके जोखिम और खर्च पर हटा दिया जाएगा।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं०

तारीख

प्ररूप सं. 40

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 189 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

यह सूचित किया जाता है कि—

(क) आपके स्वामित्व/दखल के अधीन इमारत भूमि ने बरसाती पानी को एकदम और बहाने के लिए नालियां और पाइप अच्छी हालत में नहीं हैं,

(ख) आपके स्वामित्व या दखल के अधीन इमारत भूमि और नाली/मलनाल के (नाली/मलनाल को विनिर्दिष्ट करें)

बीच कोई समुचित कनेक्शन/संचार साधन नहीं है।

अतः, अब मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 189 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि उक्त नालियां और पाइप अच्छी हालत में बनाए रखी जानी चाहिए और उक्त इमारत/भूमि से पानी का निकास कारगर रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य, आपके द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए :

(1)

(2)

(3)

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं०

तारीख

टिप्पण : जो भी आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 41

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 194 की उपधारा (9) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

जहां बोर्ड के ध्यान में यह बात आई गई है कि,—

(क) आपके स्वामित्व/दखल में की भूमि में सीमा दीवार/साइवन्दी बाड़ अनुपयुक्त/असुन्दर/आक्षेप योग्य है :

*ख) आपके स्वामित्व/दखल में की भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री वर्णन आकार की सीमा दीवार/साइवन्दी/बाड़ का संनिर्माण करना आवश्यक है।

*ग) आपके स्वामित्व/दखल में की भूमि पर सीमा दीवार/साइवन्दी/बाड़ को अच्छी हालत में बनाए रखना आवश्यक है।

अतः अधिकाारी, की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 194 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आपको सूचित करता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर

* (क) पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाड़बन्दी/बाड़ हटा दी जाए

* (ख) पूर्वोक्त भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री, वर्णन/आकार की सीमा दीवार/झाड़बन्दी/बाड़ का सन्निर्माण किया जाए।

(यहां सामग्री, वर्णन या आकार के बारे में विनिर्देश दें)।

* (ग) पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाड़बन्दी/बाड़ को अच्छी हालत में बनाए रखा जाए।

भवदीय

अधिकाारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

तारीख

टिप्पणी : जो भी सामग्री आवश्यक न हो उसे काट दें।

प्ररूप सं. 42

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय है कि, आपके स्वामित्व/दखल में की भूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) को गिराना/छांटना/शाखाओं का कतरना आवश्यक है,

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के अधिकाारी, की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 195 की उपधारा (1) उपधारा (2) के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि, इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अन्दर आपको भूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) को गिरा दिया/छांट दिया/शाखाओं को कतर दिया जाना चाहिए।

भवदीय
अधिकाारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 43

छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 20) की धारा 197 के अधीन सूचना

10/4 GI/86-13

महोदय/महोदया,

बोर्ड की राय में, आपके स्वामित्व/दखल में की स्थित खदान का खनन/पत्थर/मिट्टी का हटाया जाना

(यहां मूदा से हटाई जाने वाली अन्य सामग्री विनिर्दिष्ट करें) पड़ोस में निवासी/जाने वाले प्रयत्नों के लिए खतरनाक है/न्यूसेंस हो जाना संभाव्य है।

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के अधिकाारी की हैसियत से, आपको सूचना देता हूँ कि, आपके स्वामित्व/दखल में की स्थित भूमि में खतरे का निवारण करने/पैदा हुए न्यूसेंस/संभाव्यतः पैदा हो जाने वाले न्यूसेंस को दूर करने के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:—

(यहां उठाए जाने वाले कदमों को यहां विनिर्दिष्ट करें)

भवदीय

अधिकाारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 44

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 212 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि, बोर्ड द्वारा मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन के प्रयोजन के लिए आपके स्वामित्व/दखल में का नामक स्थान न्यूसेंस है/सि यह संभाव्यतः है कि वह जीवन/स्वास्थ्य/सम्पत्ति के लिए खतरा हो जाएगा।

अतः मैं, छावनी बोर्ड के अधिकाारी की हैसियत से छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 212 के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि पूर्वोक्त स्थान का उपयोग से तारीख से बन्द कर दें/इसे किसी न्यूसेंस/खतरे से मुक्त करने के लिए उसमें निम्नलिखित परिवर्तन/अभिवृत्तियां/सुधार करें।

(यहां किए जाने वाले परिवर्तनों, अभिवृत्तियों और सुधार के व्यौरे दें)।

भवदीय

अधिकाारी,
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 45

अवत अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 219 के खण्ड के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

आपके स्वामित्व/नियंत्रण के अधीन स्थित लोक जल प्रदाय के स्रोत, अर्थात् जगका पानी पीने के प्रयोजनों के काम में आता है—(कुएं आदि का नाम)

* (क) मैं से गाद/कचरा/सड़ी गली पत्तियां अच्छी हालत में नहीं हैं/आदि की सफाई नहीं की गई है,

* (ख) को नीचे विनिर्दिष्ट रीति से उसे संप्रुपण से बचाए रखा जाना चाहिए,

* (ग) का पानी पीने के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त है,

अतः मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 219 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि, इस अधिसूचना की प्राप्ति के दिन के अन्दर

* (क) पूर्वोक्त कुआ/जल प्रदाय को हालत में बनाए रखें/मैं से गाद, कचरा/सड़ी गली पत्तियों को साफ करें।

* (ख) पूर्वोक्त कुआ/जल प्रदाय को प्रदूषित होने से ऐसी रीति से बचाए रखें जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :—

(प्रदूषण से बचाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली रीति यहां विनिर्दिष्ट करें)।

* (ग) लोक साधारण का उस कुएं/जल प्रदाय तक पहुंच/कि पानी का उपयोग निवारित करने के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति में उपाय करें।

(यहां निवारित कर की रीति विनिर्दिष्ट करें)।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 46

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 221 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

यह प्रतीत होता है कि, आपके स्वामित्व/दखल में/की इमारत/भूमि में शुद्ध जल का समुचित प्रदान नहीं है,

अतः मैं छावनी बोर्ड के अधिशासी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 221 के अनुसरण

में सूचना देता हूँ कि इमारत/भूमि में नीचे विनिर्दिष्ट आकार और किस्म की संचार पाइपों से उक्त भवन के दखल-कार व्यक्तियों () उक्त भूमि में नियोजित व्यक्तियों की आवश्यक के

(यहां लोक जल प्रदाय का स्रोत)

विनिर्दिष्ट करें)।

ये जल की मात्रा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

(यहां संचार पाइपों के आकार और किस्मों की विनिर्दिष्टियां विनिर्दिष्ट करें)।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी,

छावनी बोर्ड,

(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं.

तारीख

प्ररूप सं. 47

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 224 के खण्ड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,

अधिकारी,

छावनी बोर्ड

मैं, भूमि/भवन का स्वामी/दखलकार, आपको सूचना देता हूँ कि, पाइपों/नालों की मरम्मत न करने के कारण उक्त भूमि/भवन में जल का बरबादी हो रही है।

कृपया इस ओर ध्यान दें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पता

स्थान

तारीख

टिप्पणी : *अधिकारी का पदनाम

प्ररूप सं. 48

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 224 के खण्ड (ग) के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

आपने,—

(क) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन इमारत की बावत जलकर/प्रभारों का भुका करने में अपेक्षा की है, और आपको वित

दिए जाने की तारीख से दिन से अधिक की अवधि दी गई है,

(ख) बोर्ड के अधोहस्ताक्षरी अधिकारी/कर्मचारी को छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 224 के खण्ड (ख) के अधीन यथा प्राधिकृत परीक्षा/जांच करने के प्रयोजन के लिए तारीख को अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि पर/ इमारत में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है/ निवारित किया,

(ग) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/ इमारत में जानबूझकर/उपेक्षा से जल का दुरुपयोग/अपव्यय किया है,

*प्रभारों की किस्म विनिर्दिष्ट करें।

(घ) अपने स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/ इमारत में जल संकर्म से जल प्रवाहित करने वाले मोटर/ पाइप/टॉपी को जानबूझकर/उपेक्षा से क्षतिग्रस्त किया है/ नुकसान पहुंचाया है,

(ङ) आपके स्वामित्व/दखल के अधीन भूमि/ इमारत को जल प्रदाय का कनेक्शन जिन नलों, टॉपियों, फिटिंगों से है, इतने बेमरम्मत है कि उसके कारण जल की बरबादी हो रही है।

अतः मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी, की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 224 के खण्ड (ग) के अनुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि, इस सूचना की प्राप्ति के दिन की अवधि के अन्दर पूर्वोक्त भूमि/इमारत के जल प्रदाय को बन्द कर दिया जाएगा/ काट दिया जाएगा।

भवदीय,
अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड,
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं

तारीख

प्ररूप सं. 49

छावनी अधिनियम, 1924(1924 का 2) की धारा 244 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,

बोर्ड ने, नोच सारणी में विनिर्दिष्ट कार्य को (जिसके इसमें इसका पश्चात्, उक्त कार्य कहा गया है) अपने हाथ में ले लिया है, और उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड की ओर से उक्त कार्य को कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए, आपकी भूमि

यहां सामग्री की गवृत्ति विनिर्दिष्ट करें, अर्थात् मिट्टी, बजरी आदि जमा करने के लिए उक्त संवर्ग तक पहुंचने के लिए/

(यहां कोई अन्य प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें)

प्रवेश करना आवश्यक है,

अतः मैं, छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 244 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूँ कि, बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों और कर्मकार पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, तारीख 19

(यहां तारीख विनिर्दिष्ट करें जो प्रस्तावित प्रविष्टि से तीन दिन से पूर्वोक्त न हो)।

को, आपकी भूमि में प्रवेश करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वामित्व/दखल के अधीन पूर्वोक्त भूमि के

(यहां क्षेत्र का उल्लेख करें)

भाग में बाड़ लगा लें जिससे कि बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी/बन्द, और कर्मकारों के उक्त कार्य का निष्पादन करने में समय हो सके।

भवदीय,
अधिशासी अधिकारी,
छावनी बोर्ड,
(बोर्ड की मुद्रा)

छावनी बोर्ड कार्यालय

सं

तारीख

टिप्पणी :—जो सामग्री आवश्यक न हो उसे काट दें।

New Delhi, the 17th October, 1986

S.R.O. 330.—Whereas draft of rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 280 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), relating to forms of notices and the manner of their service, was published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 235, dated 23rd June, 1986 in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated 26th July, 1986 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said Notification;

Whereas the aforesaid Gazette was made available to the public on 6-8-1986;

And whereas the objection received has been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules relating to forms of notices and the manner of their service :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

(b) "Form" means the Form annexed to these rules.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Form of Notices.—All notices required to be served on any person under the Act shall be in the Forms annexed to these rules.

4. Manner of Service of notices.—Every notice issued under the Act to any person shall be served or presented—

- (a) by giving or tendering the notice or sending it by post, to such person ;
- (b) if such person cannot be found, by affixing the notice on some conspicuous part of his last known place of abode or business, if within the Cantonment, or by giving or tendering the notice to some adult male member or servant of his family or by causing it to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.

5. Application of provisions of section 252 to 256A.—The provisions of sections 252 to 256A of the Act shall apply to every notice issued under these rules.

[File No. P|C 12|6|C|L&C|82|4208|D|(Q&C)]

KARTAR SINGH, Under Secy.

FORM NO. 1

Public notice under section 68 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

Whereas the notice on preparation of assessment list as required under section 67 having been duly given on.....it is hereby (date)

notified as required under section 68 of the Cantonments Act, 1924 that the Assessment Committee will commence hearing of objections from..... (date)

There should be at least thirty days gap between the date of publication of notice and date of hearing).

This notice is being displayed at the following prominent places as required under section 255 of the Cantonments Act, 1924.

(Authority : C.B. Res. No..... dated.....).

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Office of the Cantonment Board.

No.....

Date.....

Executive Officer.

.....Cantonment Board.

Seal of the Board

FORM NO. 2

Individual notice under section 68 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Subject :—Revision of Assessment list—Reg.

Sir|Madam,

As required under section 68 of the Cantonments Act, 1924 notice is hereby given to you that the Cantonment Board,.....have prepared a new Assessment list, public notice of which has already been published on..... (date)

and that the assessment of your property known as.....has been increased from Rs. to Rs.....p.a. The revised assessment and valuation will be considered by Assessment Committee on.....

2. If you have any objection to the above assessment you should make the same in writing beforestating in what respect the assessment is disputed. (date)

Any objection received from you after..... (date) will not be considered by the Assessment Committee.

Yours sincerely,

Executive Officer.

.....Cantonment Board.

Seal of the Board

Office of the Cantt. Board

No.....

Dated.....

Details of assessment/valuation :

- 1.
- 2.
- 3.

FORM 3

Notice under sub-section (1A) of section 71 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir|Madam,

Whereas it has become necessary to amend the assessment list in the following manner and on the grounds specified below :—

- (a) by inserting/omitting the name(s) of Shri./Smt./ Km.....whose name ought to have been inserted/omitted in respect of the property known as.....

(b) by altering the assessment of property known as which was erroneously assessed/valued by accident/mistake on the part of the Board/Assessment Committee;

(c) by inserting/omitting the property known as

(d) on re-value/reassessment the value of the property known as.....has increased since the last assessment;

(e) by changing the name of the occupier in respect of property known as.....; where the tax is payable by the occupier;

Please take notice that if you have any objection to above amendments, you should submit you objection to the Board before..... (The time limit stated should not be less than 30 days from the date of notice).
Office of the Board

No.....

Dated.....

Yours sincerely,
Executive Officer.

.....Cantonment Board.

Seal of the
Board

FORM NO. 4

Notice under section 74 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

The Executive Officer,
.....Cantonment Board,

Sir/Madam,

I/We hereby give notice as required by section 74 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) that I/We have completed the erection/re-erection of the building/occupied the building w.e.f..... in the plot No....., situated at..... street/Road in pursuance of sanction granted by C.B.R. No.....dated..... your letter No.....dated.....

Date.....

Yours sincerely,

Signature.....

Name.....

Address.....

FORM NO. 5

Notice under section 77A of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

TO

The Executive Officer,
.....Cantonment Board,

Subject :—Notice of vacancy of property known as

Sir/Madam,

I/We hereby give notice under section 77A of the Cantonments Act, 1924 that the property|+.....

(portion of the property) mentioned above is lying vacant and has become unproductive of rent since... day of19..... This may please be noted.

Yours sincerely

Signature.....

Name.....

Address.....

Dated :

Here mention the particulars of the vacant portion of property.

FORM NO. 6

Notice under section 79 of the Cantonments Act, 1924. (2 of 1924)

To

The Executive Officer,
.....Cantonment

Sub : Reoccupation of the property known as...

Sir,

I/We hereby give notice under sub-section (1) of section 79 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) that the property|

(portion of the property) mentioned above has been reoccupied with effect from the day of19.....

Date.....

Yours sincerely,

Signature.....

Name.....

Address.....

Here mention the portion of property.

FORM NO. 7

Notice under sub-section (3) of section 82 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

TO

Sir/Madam,

Whereas the following goods|vehicle (s)|animals (s) listed below were seized from you on the day of 19..... for non-

payment of Octroi|Terminal tax|Toll amounting to Rs..... payable by you;

And whereas you have failed to deposit Rs..... towards Octroi|Terminal tax|Toll on the said goods|vehicle (s)|animal (s).

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 82 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you Notice that the goods|vehicle (s)|animal (s) listed below shall be sold by auction on the day of 19..... for recovering the amount of Rs..... due from you as Octroi|Terminal tax|Toll on account of goods|vehicle (s)|animal (s) listed below.

Take further notice that in addition to the amount of Rs any expenses occasioned by seizure, custody and sale of the said goods|vehicle (s)|animal (s) shall also be recoverable from you unless the said amount and expenses.

FORM NO. 7 (CONTINUED)

are paid by you before the commencement of sale by auction.

Yours sincerely, Executive Officer, Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board,

No.....

Dated.....

(Seal of the Board)

FORM No. 7 (CONTINUED)

List of goods|vehicle (s)|animal (s)

- 1.
2.
3.
4.

FORM NO. 8

Notice under sub-section (1) of section 103 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

TO

.....
.....
.....

Sir|Madam,

Whereas it is necessary to have information for the purposes of ascertaining the tax liability|the amount to be assessed|the annual value of the building|land known as..... occupied by you;

Now, therefore, I, as the Executive Officer of..... Cantonment Board; hereby call upon you to furnish the necessary information in the proforma over-leaf in respect of property known as..... within 15 days from the receipt of this notice. Failure to furnish the information within 15 days or furnishing of information which is not true to the best of your knowledge or belief will make you liable for

punishment with fine which may extend to Rs. 500 under sub-section (2) of section 103 of the said Act and the tax liability|the amount to be assessed|the annual value of the building|land will be decided by the Board may deem proper. The assessment so made shall be final.

Yours sincerely, Executive Officer

.....Cantonment Board

Office of the Cantt. Board,

No.....

Dated.....

(Seal of the Board),

Information furnished under section 103 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

- 1. House No. Road and locality.
2. Name and address of the owner.
3. Date of inheritance|purchase.
4. Price paid for the property.
5. (a) Whether Kutcha or pucca.
(b) Covered area.
6. Number of Storeys.
7. Number of room of every description in each storey, with dimensions including stores, kitchen, bathrooms.
8. (a) Whether used for residential or commercial purposes.
(b) Is the building used for running a hotel, college, school, hospital or factory. If so, please give full particulars.
9. If any portion (s) has been let out, the name of tenants, the accommodation let out to each and the monthly rent.
10. Whether the house is :-
(a) Electrified.
(b) Has a domestic water connection.
(c) Sanitary latrines.
11. Is the house assessed for State Government property tax and if so what is the assessment fixed by the Excise and Taxation Officer and the date from which it is effective.

Signature of owner|occupier|tenant

FORM NO. 9

Notice under sub-section (1) of section 121 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

TO

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas by public Notice dated..... it was directed by the Board that the roofs and external walls of huts/buildings shall not, without the permission in writing of the Board, be made or renewed of grass, mats, leaves or other inflammable materials in thearea of the Cantonment; and

Whereas you have renewed the roof/wall (s) of your hut/building with grass/mats/leaves inflammable material, without the permission from the Board in writing:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 121 of the Cantonment Act, 1924, I as the Executive Officer of theCantonment Board, hereby give you notice that the roofs/walls of your hut/building be removed within 15 days from the date of receipt of this notice.

Yours sincerely,
Executive Officer

.....Cantonment Board

Office of the Cantt. Board (Seal of the Board.)

No.

Dated

FORM NO. 10

Notice under sub-section (2) of section 121 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924)

To,

.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the external *walls/roof(s) of your *hut/building is made of grass/mats/leaves..... inflammable material *with/without the sanction of the Board ;

And whereas the Board is of the opinion that the external walls/roof(s) of your hut/building should be removed being made of an inflammable material ;

Now, therefore, in pursuance of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the external walls/roof(s) of your hut/building be removed within **.....days from the date of receipt of this notice.

You are further informed that the compensation of Rs.....towards the original cost of the said material has been awarded to you and the

same may be collected from the office of the Board within **.....days.

Your sincerely,

Executive Officer

.....Cantonment Board

(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

No.....

Dated.....

(*Strike out the matter whichever is not necessary.

**Here give the reasonable period for compliance).

FORM NO. 11

Notice under section 126 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Cantonment Board building/wall/well/tank/reservoir/pool/depression/excavation/bank/tree *(described in the Table attached herewith) owned/partly owned by you is in ruinous state and is a nuisance/dangerous to persons/ passerby/dwelling/working in the neighbourhood** ;

Now, therefore, in pursuance of section 126 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of theCantonment Board, hereby give you notice that***..... removed/repaired/protected within..... days from the date of receipt of this notice, failing which, the said work shall be undertaken by the Cantonment Board at your risk and cost.

Your sincerely,

Executive Officer

.....Cantonment Board

Office of the Cantonment Board.

No.....

Dated.....

*In case of tenant the word 'your' shall be deleted.

**Strike out whichever is not applicable.

***Herein specify the action required on part of owner/tenant.

FORM NO. 12

Notice under section 127 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that your building No..... vacant plot No....., has by reason of disuse/disputed ownership....., has remained unoccupied and has become the resort of idle and disorderly person/persons who have no ostensible means of subsistence/persons who cannot give a satisfactory account of themselves/is used for gaining/immoral purposes or for*.....

(other purpose)

and/or is likely to occasion a nuisance.**

Now, therefore, in pursuance of section 127 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice to secure and enclose said building No.....vacant plot No..... within.....days of the receipt of this notice.

Authority : CBR No.....dated.....

Your sincerely, Executive Officer

.....Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board,

No.....

Dated.....

(Seal of the Board)

*Herein specify the other purpose.

**Strike out whichever is not applicable.

FORM NO.13

Notice under clause (a) of section 133 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924)

To,

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that.....

*(1) a cesspool in your building/land..... is causing nuisance and it needs closing ;

*(2) the receptacle to filth in your building/land..... is not kept in a clean condition/sweage is accumulating on your land/building £.....;

*(3) the following/soaking/draining water of private latrine/urinal/sink/bathroom or any other offensive matter on your land/building £.....is causing a nuisance to the neighbours and persons passing by ;

sance to the neighbours and persons passing by ;

*(4) rubbish or offensive matter has been allowed to accumulate or remain under it on your building/land £.....

Now, therefore, in pursuance of sub-clause..... of clause (a) of section 133 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice to close the cesspool/to keep the receptacle clean/to rectify accumulation of sewage/to stop the flow of the daffly waste water on the public land or provide a pucca cesspool/to remove the rubbish/ to provide proper covering/repair/clean within £.....days of receipt of this notice.

Yours sincerely, Executive Officer,Cantonment Board (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board,

No.....

Date.....

Note : *Strike out whichever is not necessary. £-Fill in the particulars of the building or land.† Here mention the respective sub-clause of clause (a) of section 133.

FORM NO.14

Notice under clause (b)|clause (c) of section 133 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that.....

*(1) making or altering any drain in your building/land @.....leading into a public drain should be stopped ;

*(2) the drain in your control is not clean/ requires repair/to be altered/to put in good order ;

Now, therefore, in pursuance of clause *(b)|clause *(c) of section 133 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the..... Cantonment Board, hereby give you notice to stop from making or altering the said drain leading into a public drain*/to cleanse/purify/repair/alter/put in good order the same within..... days of receipt of this notice.

Yours sincerely, Executive Officer,

.....Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board,

No.....

Dated.....

(Seal of the Board)

Note :--@Fill in the particulars of the building or land.

*Strike out whichever is not necessary.

FORM NO. 15

Notice under sub-section (1) of section 134 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Health Officer/Assistant Health Officer,Cantonment Board, the well|tank|reservoir|cistern|receptacle in your property known as.....where water is stored|accumulating is creating nuisance and likely to be a breeding place for mosquitoes.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 134 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice to fill up|cover the well|tank|reservoir|cistern|receptacle within.....days of the receipt of this notice.

Yours sincerely, Executive Officer,Cantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

No.....

Date.....

FORM NO. 16

Notice under section 135 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir/Madam,

Where it has been noticed that the land|building|house known as.....owned|occupied by you requires to be provided with latrine|urinal|cesspool|dustbin|receptacle for l|th, sewage or rubbish|additional latrine|urinal|cesspool|receptacle ;

Now, therefore, in pursuance of section 135 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby gives you notice that the.....

(here specify the requirement as to latrine|urinal|cesspoll etc.)

.....should be provided in the aforesaid land|building|house owned|occupied by you as per the specifications mentioned below :—

(here specify the maner in which the latrine|urinal|cesspool etc. be provided for).

1014 GI/86—4

Yours sincerely, Executive Officer,Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board.

(Seal of the Board)

No.....

Dated.....

FORM NO. 17

Notice under section 136 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

The Executive Officer,Cantonment Board,

Sir/Madam,

I, as an employer of the.....

(here specify the name of the establishment) hereby give you notice under section 136 of the Cantonments Act, 1924 that with effect from theday of.....19..... I am employ- ing..... persons as employes in the aforesaid located at..... (name of the establishment) in the.....Cantonment.

Your sincerely, Signature..... Name..... Address.....

Place :

Date :

FORM NO. 18

Notice under section 137 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that :—

- *(1) the private latrine|urinal owned by you| under your control shall not hereafter be put to public use ;
*(2) the private latrine|urinal proposed to be constructed|repaired by you shall not be constructed|repaired, unless it has been ins-
*the private latrine|urinal repaired|constructed by you shall not be put to use,
pected by the Health Officer and certified that the said latrine|urinal is inconformity

with the model plan approved by the... Cantonment Board on the... day of... 19... (the copies whereof are available in the office of the Cantonment Board free of charge);

*(3) the private latrine/urinal owned by you under your control is causing public nuisance;

*(4) the latrine owned/controlled by you,— (a) is open to view of persons passing by dwellings in the neighbourhood; (b) needs cleansing in the manner specified below:—

(Here specify the manner in which the cleansing required to be done);

*(5) the drain owned/controlled by you is uncovered and requires to be covered in the manner specified below:—

(Here specify the manner of covering required)

Now, therefore, in pursuance of clause £... of section 137 of the Cantonment Act, 1924, I, as the Executive Officer of the... Cantonment Board, give you notice to take necessary steps to construct/repair/remove/shut out/cleanse/cover the private latrine/urinal/drain owned by you under your control situated in your building/land @... within... days of the receipt of this notice in the manner hereinafter specified.

.....
.....
.....

Yours sincerely,
Executive Officer,
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board,
No.....
Date.....

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.
£ Here specify the clause.
@ Fill in the particulars of the building or land.

FORM NO. 19

Notice under sub-section (3) of section 138 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas on the basis of the report of the Committee constituted under sub-section (1) of section

138 of the Cantonments Act, 1924, the... Cantonment Board is of the opinion that the building(s)... indicated in the Table below is/are likely to cause risk of disease to the inhabitants of the building(s) neighbourhood and endanger the public health;

And whereas the Board is satisfied that it is necessary to remove the said building(s) immediately;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 138 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the... Cantonment Board, hereby give you notice that the said building(s) to removed within.....

days of the receipt of this notice.
Office of the Cantonment Board,
No.....
Date.....

Yours sincerely,
Executive Officer,
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

TABLE

(Here give the particulars of the building(s) in question

FORM NO.20

Notice under sub-section (1) of section 139 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board, building(s)..... or part thereof..... used as dwelling house is overcrowded and endangering the health of the occupants thereof;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 139 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the... Cantonment Board hereby give you notice to reduce the number of lodgers/tenants/other inmates by *..... and abate the overcrowding in the said building(s). Failing to comply with the above requisition, you will be liable to prosecution under sub-section (2) of section 139 of the said Act.

Office of the Cantonment Board,
No.....
Date.....

Yours sincerely,
Executive Officer,
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

*Hereafter specify the details of lodgers/tenants/other persons whose number is to be reduced;

FORM NO. 21

Notice under section 140 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas in the opinion of the Board the building(s) owned or occupied by you situated at, is in a state of disrepair/dilapidated in an insanitary state and required to be repaired/ altered as specified below :—

- 1.
2.
3.
4.

Now, therefore, in pursuance of section 140 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the execution of the aforesaid repairs/alterations should be carried out within days of the receipt of this Notice.

Office of the Cantonment Board,
No.
Dated

Yours sincerely,
Executive Officer,
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM NO. 22

Notice under sub-section (1) of section 141 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the land/building..... owned/occupied by you

- *is in a sanitary/filthy/unwholesome state,
*is a nuisance to persons in the neighbourhood,
*is overgrown with prickly-pear/rank/noisome vegetation;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 141 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the said (land/building(s))..... owned/occupied by you should be cleansed/lime-washed

internally/externally/cleared and put in a proper state within..... days of receipt of this Notice.

Office of the Cantonment Board,
No.
Date

Yours sincerely,
Executive Officer,
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.

FORM NO. 23

Notice under section 148 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

NOTICE

Every owner or occupier of this building is hereby give notice that the entire/part..... of the building is unfit for human habitation and he is therefore prohibited to use the same until it has been rendered fit for such use to the satisfaction (

..... Cantonment Board,
Office of the Cantonment Board,
No.
dated

Executive Officer,
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM NO 24

Notice under section 143 of the Cantonments Act, 1924, (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....
.....

Sir/Madam,

It is noticed that noxious vegetation/undergrowth has come up in the land/the building..... owned or occupied by you is injurious to health/offensive to the persons residing in the neighbourhood;

Now, therefore, in pursuance of section 143 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to clear away and remove from the said land/building the vegetation/undergrowth within..... days of the receipt of this Notice.

Office of the Cantonment Board,
No.
Dated

Yours sincerely,
Executive Officer,
..... Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM NO. 25

Notice under section 145 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it is necessary to have the following information in respect of.....burial|burning ground owned by you|of which you are in charge with regard to the condition, management|position of such ground.

(Herein specify the information required)

Now, therefore, in pursuance of section 145 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby call upon you to furnish the necessary information as required above in respect of.....burial|burning ground within.....days of the receipt of this Notice.

Office of the Cantonment Board,

No.

Dated.....

Yours sincerely,
Executive Officer,
.....Cantonment Board
(Seal of the Board)

FORM NO. 26

Notice under section 152 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

TO
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it has been certified by.....(Name)

Medical practitioner, that the outbreak|spread of infectious|contagious disease.....in the (name of the deceased) Cantonment is attributable to the milk supplied by you;

Now, therefore, in pursuance of section 152 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice to furnish a full and complete list of the names and addresses of all your customers and furnish all such information to enable me to trace the persons to whom you have sold milk within.....days of the receipt of this Notice.

Yours sincerely,
Executive Officer
.....Cantonment Board.
(Seal of the Board)

Office of the Cantt. Board

No.

Dated.....

FORM NO. 27

Notice under section 153 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it has been certified by the Health Officer, that with a view to prevent the spread of infectious|contagious disease.....it is necessary to have the information regarding customers;

Now, therefore, in pursuance of section 153 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby give you notice that full and complete list of the names and addresses of all your customers within the Cantonment whose clothes and other articles you washor have washed during the six weeks immediately preceding the date of this notice, to the Health Officer within.....days of the receipt of this Notice.

Yours sincerely,
Executive Officer
.....Cantonment Board.

Office of the Cantonment Board

No.

Dated.....

FORM NO. 28

Notice under section 155 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it has been reported by the Health Officer that the infectious or contagious disease is caused likely to arise in the Cantonment,.....

*(a) from the consumption of the milk supplied from your dairy

*(b) washing of clothes or other articles by you|process employed by you for washing of clothes or articles at.....; (name of the place)

Now, therefore, in pursuance of clause.....of section 155 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby directs that until further notice no,---

*(a) milk should be supplied to any person from your dairy

*(b) washing of clothes|articles|any process for washing clothes|article should be undertaken, by you in the manner

FORM NO. 30

Notice under sub-section (1) of section 162 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

at used by you for this purpose. (name of the place)

To,

Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board (Seal of the Board)

Sir|Madam,

Whereas in the opinion of the Board, the destruction of shed|hut and the materials thereof owned by you at, is necessary to prevent the spread of infectious|contagious disease ;

Office of the Cantonment Board

No.

Dated

Note : Strike out the matter whichever is not necessary.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 162 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice to destroy the aforesaid shed|hut and the materials thereof within.....days of the receipt of this Notice.

Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board

FORM NO. 29

Notice under Section 161 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

Office of the Cantt. Board

(Seal of the Board)

To,

No.....

Dated.....

FORM NO. 31

Notice under sub-section (2) of section 162 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

Sir|Madam,

Whereas the Board is of the opinion that cleansing and disinfection of your building|part of a building|removal of the flooring of the building|articles in the buildings, is necessary to prevent|cheek spread of infectious|contagious disease;

To,

Sir|Madam,

Whereas, as the President of the Board, I am satisfied that the destructions of shed|hut at *owned|occupied by you is immediately necessary for the purpose of preventing the spread of *infections|contagious diseases ;

Now, therefore, in pursuance of Section 161 of the Cantonments Act 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice to cleanse|disinfect the building|part of a building|removal of the flooring|articles in the building as specified below, within a period of days of the receipt of this Notice.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 162 of the Cantonments Act, 1924, I, as the President of the Cantonment Board, hereby give you notice that the said *shed|hut *owned|occupied by you shall be destroyed immediately. In case of your failure to destroy the said shed|hut, it will be destroyed by the Board within**..... hours of the receipt of this Notice.

(Herein specify the details)

Yours sincerely Executive Officer, Cantonment Board (Seal of the Board)

Yours sincerely, President

Office of the Cantonment Board

(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board

No.

Dated

No.

Dated

(*Strike whichever matter is not necessary.

**Here mention the period not less than two hours).

FORM NO. 32

Notice under clause (b) of sub-section (1) of section 169 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the Board is of the opinion that the water in well|tank|..... owned by you|under (other place) your control at, if used for drinking, will endanger|cause the spread of.... disease.

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 169 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to adopt the following measures to prevent the public use the water from the said well|tank|..... (other place)

from the date of receipt of this Notice.

(Here mention the measures to be under taken).

- (1)
(2)
(3)

Yours sincerely,
Executive Officer,
.....Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board,

No.....
Dated

Note : Strike out the matter whichever is not applicable.

FORM NO. 33

Notice under section 170 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it has been reported that has died from infections|contagious disease.

Now, therefore, in pursuance of clause (a)|claus (b) of Section 170 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you Notice :—

* (a) to convey the same to a mortuary at

*(b) to remove the corpse for the purpose of being burried|*burat|*conveyed to a mortuary at.....

Yours sincerely,
Executive Officer,
.....Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board,

No.....
Dated

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.

FORM NO. 34

Notice under sub-section (1) of section 175 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924).

To,
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas there are sufficient reasons to believe that you are suffering from an infectious|contagious disease ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 175 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Medical Officer|Medical Officer-in-Charge of the hospital Cantonment Board, hereby give you notice to present yourself for a medical examination at hospital|dispensary at on(hrs). you should (Date)

not leave the hospital|dispensary without the permission of the Medical Officer-in-Charge.

Yours sincerely,
Executive Officer,
.....Cantonment Board,
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board,

No.....
Date

FORM NO. 35

Notice under section 183-B of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,
The Executive Officer
Cantonment Board,
.....

In pursuance of section 183-B of the Cantonments Act, 1924, this is to inform you that I|we have completed erection|re-erection of the building known as

.....as per sanction given by
the Board under Resolution No. dated
.....your No.
dated

This may please be noted.

Yours sincerely,

Signature.....

Name.....

Address.....

Place.....

Date.....

FORM NO. 36

Notice under sub-section (2) of section 185 of the
Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

Sir/Madam,

Whereas it is considered that the erection/re-erection of the building, specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building), *owned; *occupied; *taken on lease by you, constitute an offence under section 184 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 185 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of theCantonment Board, hereby give you notice that the *erection/*re-erection of the said building should be *stopped|the *erection/*re-erection completed by you should be *demolished and the said building should be re-erected in the manner specified in column (4) of the said Schedule.

*Strike out whichever is not necessary.

SCHEDULE

Name of the building.	Location of the building	Details of construction as undertaken by owner/occupier/lessee in contravention of section 184 of the Act.	Specification to demolition and re-erection of the building.
1	2	3	4

Yours sincerely,
Executive Officer,
Cantonment Board,

Office of the Cantonment
Board.

No.

Dated

(Seal of the Board)

FORM NO. 37

Notice under sub-section (2) of section 185 of the
Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

Sir/Madam,

Whereas the Officer Commanding-in-Chief, the Command has by his order No.dated suspended the order of the Board issued under section 181 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), under which the Board has sanctioned the *erection; *re-erection of the building, specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building) ;

And whereas it is necessary to stop the said erection/re-erection of the said building ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 185 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice to stop the *erection/*re-erection of the said *building/*demolish/*alter/*re-erect the said building in the manner specified in column (4) of the said Schedule.

*stricke out whichever is not necessary.

SCHEDULE

Name of the building.	Location of the building	Details of Construction undertaken by owner/ occupier/ lessee.	Manner in which the building should be demolished/ altered/ re-erected as per the modifications suggested by the Officer Commanding in-chief, the Command.
1	2	3	4

Yours sincerely,
Executive Officer
.....Cantonment Board,
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment
Board.

No.

Dated

FORM NO. 38

Notice under section 187 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas you have without the permission in writing from the Board has erected/constructed the following structures in your buildings

- (1)
(2)
(3) (Here specify the structures of the building)
(4)

Now, therefore, in pursuance of section 187 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that you should demolish the aforesaid erection/structure/encroachment within days of the receipt of this notice.

Your sincerely,
Executive Officer
Cantonment Board.
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.
No.
Dated

FORM NO. 39

Notice under section 188 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas, you have without the permission of the Board in writing erected/re. erected a structure/ building on (name of the public sewer, drain, culvert,) in place. (water course or water pipe line)

Now, therefore, in pursuance of section 188 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice to pull down the same within days of receipt of this notice failing which it shall be removed by the Board at your risk and cost.

Yours sincerely,
Executive Officer
Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.
No.
Date

FORM NO. 40

Notice under section 189 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924).

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it is noticed that;—

- (a) the troughs and pipes for receiving and carrying rain water from the building. land. owned/occupied by you are not in good condition;
(b) There is no proper connection/communication between the building. land. owned/occupied by you and the drain/sewer. (specify the drain/sewer).

Now, therefore, in pursuance of section 189 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the Cantonment Board hereby give you notice that the troughs and pipes should be kept in good condition and to ensure efficient drainage from the said building/land the following work should be undertaken by you within days of receipt of this notice :—

- 1.
2.
3.

Yours sincerely,
Executive Officer
Cantonment Board.
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.
No.
Date.....

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary:

FORM NO. 41

Notice under sub-section (2) of section 194 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it is brought to the notice of the Board that,—

- *(a) The boundary *wall/hedge/*fence in land *owned/occupied by you is *unsuitable/unsightly/objectable;

*(b) It is necessary to construct on the land *owned|occupied by you, the boundary *wall|*hedge|*fence of the material, description|dimensions specified below;

*(c) It is necessary to maintain the boundary *wall|hedge|*fence on the land..... *owned|occupied by you in good order;

Now, therefore in pursuance of sub-section (2) of section 194 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby give you notice that,—

*(a) The boundary wall|hedge|fence on the aforesaid land be removed,

*(b) The boundary wall|hedge|fence of the material, description|dimensions specified below be constructed on the aforesaid land.

(Here give the specifications as to material, description or dimensions);

*(c) The boundary wall|hedge|fence on the aforesaid land be maintained in good order, within.....days of the receipt of this notice.

Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board. No..... Date.....

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.

FORM NO. 42

Notice under sub-section (1) of section 195 of the (Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To, ;

Sir|Madam,

Whereas the Board is of the opinion that it is necessary fell|lop|trim the tree(s) standing of land owned|occupied by you on account of

(Here mention the reasons)

1014 GI/86—5

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1)| sub-section (2) of section 195 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice that the tree(s) standing on your land..... should be felled|lopped|trined withindays of receipt of this notice.

Yours sincerely, Executive OfficerCantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board. No..... Date.....

FORM NO. 43

Notice under section 197 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To, ;

Sir|Madam,

Whereas in the opinion of the Board the working of a quarry|the removal of stone|earth|..... (here specify the removal)

..... of other material from the soil)

at.....owned|occupied by you is dangerous to the persons residing in|frequenting the neighbourhood|creates|likely to create nuisance;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 197 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice that the following steps should be taken by you to prevent danger|abating nuisance arising|likely to arise at.....owned|occupied by you :—

(Herein specify the steps to be taken)

.....

Yours sincerely, Executive Officer Cantonment Board. (Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.Cantonment. Date.....

FORM NO. 44

Notice under section 212 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the Board is satisfied that the use of place known as.....owned/occupied by you for the purpose of....., under licence granted by the Board is a nuisance/likely to be dangerous to life/health/property;

Now, therefore, in pursuance of section 212 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice that the use the aforesaid place should be discontinued w.e.f. the.....day of..... 19.....[to effect the following alterations/additions/improvements by the.....day of..... 19....., to render it free from any nuisance/danger:

(Herein give details of alterations, additions and improvements to be undertaken).

Yours sincerely,
Executive Officer
.....
Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

No.....
Date.....

FORM NO. 45

Notice under clause of section 219 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the..... source of (Name of well etc.) public water supply which is used for drinking purposes in.....owned/by you/under your control is.....

(a) not in good order/not* cleared of silt/refuse*/decaying vegetation;

(b) required to be protected from contamination in the manner specified below:—

(c) the water is unfit for drinking purposes;

Now, therefore, in pursuance of section 219 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby give you notice:—

(a) to keep the aforesaid well/water Supply in good order/clear it of silt/refuse/decaying vegetation

(b) to protect the aforesaid well/water supply from contamination in the manner specified below:—

(Here specify the manner to be adopted to prevent contamination)

(c) that the public should be prevented from having access to using the water from the aforesaid well/water supply in the manner specified below:—

(Here specify the manner of prevention)

within.....days of receipt of this notice.

Yours sincerely,
Executive Officer
.....
Cantonment Board
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment Board.

No.....
Date.....

Note : *Strike out the matter, whichever is not necessary.

FORM NO. 46

Notice under section 221 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,
.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas it appears that the building/land.....owned/occupied by you is without a proper supply of pure water;

Now, therefore, in pursuance of section 221 of the Cantonments Act, 1924, I, as the owner/occupier of the.....Cantonment Board hereby give you notice that the building/land.....should be provided with communication pipes of the size and description specified below and for obtaining..... quantity of water from.....

(Here specify the source of public water supply water supply for the requirements of persons occupying the said building/employed the said land:—

(Here specify the particulars as to size and description of the communication pipes).

Yours sincerely,
Executive Officer
Cantonment Board.
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment
Board.

No.....

Date.....

FORM NO. 47

Notice under clause (a) of section 224 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

The *.....Officer.

.....Cantonment Board

In pursuance of clause (a) of section 224 of the Cantonments Act, 1924, I, as the owner/occupier of the land/building....., hereby give you notice that due to pipes/drains being out of repair, there is wastage of water in/on the said land/building.

This may please be noted.

Yours sincerely,

Signature.....

Name.....

Address.....

Place.....

Date.....

Note : *Designation of the Officer.

FORM NO. 48

Notice under clause (c) of section 224 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas, you have,—

- (a) neglected to pay the water tax|.....†..... charges in respect of the land/building..... owned/occupied by you and more than..... days period has elapsed since issue of bill to you ;
- (b) refused to admit|prevented the undersigned|..... officer/servant of the Board, to enter in the land/building..... owned/occupied by you on..... for the purpose of making an examination|inquiry as authorised under clause (b) of section 224 of the Cantonments Act, 1924;
- (c) willfully|negligently misused|caused waste of water in the land/building..... owned/occupied by you;
- (d) willfully|negligently injured|damaged the meter|pipe|tap conveying water from the water works to the land/building..... owned/occupied by you;

- (e) the pipes, taps, fittings connected with the supply of water to the land/building..... owned/occupied by you are out of repair and causing waste of water.

Note : †specify the nature of charges.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of section 224 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board, hereby give you notice that the water supply to the aforesaid land/building is being turned off|disconnected within.....days of receipt of this notice.

Yours sincerely,
Executive Officer
Cantonment Board.
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment
Board.

No.....

Date.....

FORM NO. 49

Notice under section 244 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924).

To,

.....
.....
.....

Sir/Madam,

Whereas the Board has undertaken the work specified in the Table below (hereafter referred to as the said work) and for that purpose, it is necessary for the officers, staff and the workmen executing the said work on behalf of the Board to enter* on your land.....for the purpose of depositing thereon..... (here specify the nature of*materials such as soil gravel etc.)

obtaining access to the said work.....
(Here specify any other purpose)

Now, therefore, in pursuance of section 244 of the Cantonments Act, 1924, I, as the Executive Officer of the.....Cantonment Board hereby give you notice that the officers, staff and the workmen of the Board shall enter into your land for the purpose aforesaid on the..... (Here specify the date not earlier than three days from the date of proposed entry..... day of.....19.....and requests you to fence of.....(here mention the area) of the aforesaid land owned/occupied by you so as to enable the officers, staff and workmen of the Board to execute the said work.

Yours sincerely,
Executive Officer
Cantonment Board.
(Seal of the Board)

Office of the Cantonment
Board.

No.....

Date.....

Note : *Strike out the matter whichever is not necessary.